सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी—बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्याः— 2021 / 271 दर्ज तिथिः—17.11.2021

प्रार्थी		अप्रार्थी
मोहनसिंह गोदपुत्र बालीदेवी वगैरह	बनाम	बाली पत्नी भूरसिंह वगैरह
जरिये अधिवक्ता श्री हरीश चौधरी		जरिये अधिवक्ता श्री डालूराम चौधरी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—65 (2)
राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956
निर्णय तिथिः—17.03.2025

—:निर्णयः—

1. आज यह पत्रावली राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—65 (2) के तहत प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र के वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से हैः—

   - कि प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी आराजी खसरा संख्या 99 व 183 मौजा धांधलावास पटवार हल्का नगर तहसील गुडामालानी की नेखमबंदी हेतु राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—128 के तहत अदालत हाजा में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र पर दिनांक 07.02.2023 को अप्रार्थी संख्या 50 की अनुपस्थिति दर्ज कर एकतरफा कार्यवाही करते हुए पत्रावली वास्ते अंतिम बहस दिनांक 11.02.2023 को लोक अदालत शिविर गुडामालानी में रखी गई। तत्पश्चात दिनांक 11.02.2023 को लोक अदालत शिविर गुडामालानी में पत्रावली पर अंतिम निर्णय कर आदेश पारित कर दिया गया।
   - कि प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 50 जानबूझकर अनुपस्थित नहीं रहे। बल्कि अप्रार्थी संख्या 50 प्रशासनिक देरी की वजह से अदालत में समय पर उपस्थित रहने में असमर्थ रहे। अप्रार्थी संख्या 50 [illegible] का कार्य करते हुए एक संस्था के रूप में तेल एवं गैस उत्खनन में कार्यरत है। इस कारण अप्रार्थी संख्या 50 प्रशासनिक देरी की वजह से अदालत में समय पर उपस्थित रहने में असमर्थ रहे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.23 20:46:18 IST
Reason: SelfAttested

- कि प्रार्थी की खातेदारी आराजी 183 व अप्रार्थी संख्या 50 की अवाप्तशुदा भूमि खसरा संख्या 187/3 के मध्य किसी अन्य खातेदार की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 187 अवस्थित है। जबकि प्रार्थी द्वारा अपने नेखमबंदी के प्रार्थना पत्र में खसरा संख्या 187 के खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया है। बल्कि दुर्भावनापूर्ण तरीके से अप्रार्थी संख्या 50 की खातेदारी आराजी पर कुठाराघात करने हेतु अप्रार्थी संख्या 50 को पक्षकार बनाया है।
- कि इसी प्रकार प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 99 एक अन्य राजस्व गांव में अवस्थित है। जबकि एक अन्य राजस्व गांव में अवस्थित प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 99 के लगते हुए अप्रार्थी संख्या 50 की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 122 मौजा रावली नाडी अवस्थित है। परन्तु प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी आराजी खसरा संख्या 99 की नेखमबंदी के प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी संख्या 50 को पक्षकार नहीं बनाया है।
- इस प्रकार अदालत हाजा द्वारा दिनांक 11.02.2023 को जारी निर्णय अप्रार्थी संख्या 50 को सुनवाई का अवसर नहीं देते हुए पारित किया गया है। साथ ही उल्लेखनीय है कि लोक अदालत में उभयपक्षकारों की सहमति के आधार पर ही निर्णय किए जा सकते हैं परन्तु प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी आराजी खसरा संख्या 99 व 183 मौजा धांधलावास पटवार हल्का नगर तहसील गुडामालानी की नेखमबंदी हेतु राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–128 के तहत अदालत हाजा में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अंतिम निर्णय लोक अदालत में किया गया है।
- कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–63 के तहत विपक्षी पक्षकार को बिना सुने एकतरफा कार्यवाही करते हुए पारित दिनांक 11.02.2023 के निर्णय को निरस्त करवाने हेतु राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–65 (2) के तहत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र बिना विलंब प्रस्तुत किया गया है। अतः हाजा अदालत से निवेदन है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–63 के तहत विपक्षी पक्षकार को बिना सुने एकतरफा कार्यवाही करते हुए पारित दिनांक 11.02.2023 के निर्णय को निरस्त करवाने हेतु राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–65 (2) के तहत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार करते हुए निर्णय दिनांक 11.02.2023 को निरस्त करते हुए प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 50 को सुनवाई का अवसर देते हुए प्रार्थना पत्र का गुणावगुण पर निर्णय किया जावे।

2. अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी बाद विधिवत तामील उपस्थित [illegible] होकर [illegible] प्रार्थना–पत्र का जवाब प्रस्तुत करते हुए निम्न प्रकार निवेदन कियाः–

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.23 20:46:18 IST
Reason: SelfAttested

- कि प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी आराजी खसरा संख्या 99 व 183 मौजा धांधलावास पटवार हल्का नगर तहसील गुडामालानी की नेखमबंदी हेतु राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–128 के तहत अदालत हाजा में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अप्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया

गया। परन्तु अप्रार्थी बावजूद विधिवत तामील उपस्थित न्यायालय नहीं होने के कारण अप्रार्थी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई उचित है।

- कि दिनांक 11.02.2023 को लोक अदालत शिविर गुडामालानी में पत्रावली पर अंतिम निर्णय कर पारित आदेश उचित है। अतः अप्रार्थी संख्या 50 का प्रार्थना–पत्र सारहीन होने के कारण खारिज करने का निवेदन किया।

3. प्रकरण में बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए पुनरावलोकन का प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने का निवेदन किया। इसी प्रकार दौराने बहस अप्रार्थी अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र के जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए पुनरावलोकन का प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया। प्रकरण में पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया है।

4. प्रकरण में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–63 के तहत विपक्षी पक्षकार को बिना सुने एकतरफा कार्यवाही करते हुए पारित दिनांक 11.02.2023 के निर्णय को निरस्त करवाने हेतु राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–65 (2) के तहत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार करते हुए निर्णय दिनांक 11.02.2023 को निरस्त करते हुए प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 50 को सुनवाई का अवसर देते हुए प्रार्थना पत्र का गुणावगुण पर निर्णय किये जाने हेतु प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है।

5. प्रकरण में विश्लेषण से पूर्व राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–65 (2) का अवलोकन किया जाना अपेक्षित है। जिसका उद्धरण निम्न प्रकार हैः–

> *65. No appeal form order passed under Section 63 – (1) Except where a case or proceeding before any revenue court or officer has been decided on the merits, no appeal shall lie from an order passed under Sec. 63.*
>
> *(2) The party against whom any order is passed under Section 63 may apply within 30 days from the date of such order, to have it set aside on the ground that he was prevented by any sufficient cause from appearing at the hearing or from paying the requisite process-fee for the service of a summons or notice on the opposite party, and the revenue court or officer may, after notice to the opposite party and after making such inquiry, as may be considered necessary, set aside the order passed.*

6. प्रकरण में विश्लेषण से पूर्व राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–63 का अवलोकन किया जाना अपेक्षित है। जिसका उद्धरण निम्न प्रकार हैः–

> *63. Hearing in absence of party – If any party to a case of proceeding before a revenue court or officer does not appear on the date fixed for hearing, or on any subsequent date or dates to which the hearing may have been postponed, the case or proceeding may be heard and determined in his absence or may be dismissed in default.*

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.23 20:46:18 IST
Reason: SelfAttested

> *(2) If, on the date fixed for hearing a case or proceeding, a revenue court or officer finds that a summons or notice was not served on any party due to the failure of the opposite party to pay the requisite process fees for such service, the case or proceeding may be dismissed in default of payment of such process-fees.*

7. हमने विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 50 की बहस पर मनन किया। प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी आराजी खसरा संख्या 99 व 183 मौजा धांधलावास पटवार हल्का नगर तहसील गुडामालानी की नेखमबंदी हेतु राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–128 के तहत अदालत हाजा में प्रार्थना पत्र दिनांक 07.12.2022 को प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात दिनांक 07.02.2023 को अप्रार्थी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। तत्पश्चात प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी आराजी खसरा संख्या 99 व 183 मौजा धांधलावास पटवार हल्का नगर तहसील गुडामालानी की नेखमबंदी हेतु राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–128 के तहत अदालत हाजा में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अंतिम निर्णय लोक अदालत में दिनांक 11.02.2023 को किया जाना स्पष्ट है। प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी आराजी खसरा संख्या 99 व 183 मौजा धांधलावास पटवार हल्का नगर तहसील गुडामालानी की नेखमबंदी हेतु राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–128 के तहत अदालत हाजा में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अंतिम निर्णय लोक अदालत में दिनांक 11.02.2023 पारित कार्यवाही का ज्ञान होने दिनांक 13.03.2023 को अप्रार्थी संख्या 50 द्वारा पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–65 (2) के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी आराजी खसरा संख्या 99 व 183 मौजा धांधलावास पटवार हल्का नगर तहसील गुडामालानी की नेखमबंदी हेतु राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–128 के तहत अदालत हाजा में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अंतिम निर्णय लोक अदालत में दिनांक 11.02.2023 पारित कार्यवाही का ज्ञान होने पर निश्चित अवधि में सक्षम न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से अप्रार्थी संख्या 50 अपने विरूद्ध हुई कार्यवाही के प्रति संवेदनशील प्रतीत होता है।

8. इसी प्रकार प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 50 द्वारा प्रकरण में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–63 तथा धारा–65 (2) में निहित प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि ऐसे प्रकरण जिनमें पक्षकार को अकारथ अन्याय हुआ है तथा परिसीमा अवधि के कारण पक्षकार के न्याय के रास्ते बंद हो चुके हैं, उन प्रकरणों में न्यायालय देरी के उपशमन के मामलों में प्रकरण में हुये अकारथ अन्याय के मामलों में व्यापक देरी का उपशमन करने हेतु अपने विवेक एवं अंतर्निहित शक्तियों का उपयोग कर सकता है। इससे प्रकरण में हुये अकारथ अन्याय के मामलों में हुई देरी का उपशमन करते हुए पक्षकार को अपना प्रकरण पुनः न्यायालय के समक्ष रखने हेतु एवं प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णयन करने हेतु न्याय के [illegible] की अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। हस्तगत प्रकरण में उल्लेखनीय है कि लोक अदालत में उभयपक्षकारों की सहमति के आधार पर ही निर्णय किए जा सकते हैं परन्तु प्रार्थी द्वारा अपनी

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.23 20:46:18 IST
Reason: Self-Attested

खातेदारी आराजी खसरा संख्या 99 व 183 मौजा धांधलावास पटवार हल्का नगर तहसील गुडामालानी की नेखमबंदी हेतु राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–128 के तहत अदालत हाजा में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अंतिम निर्णय लोक अदालत में किया गया है।

9. प्रकरण में उल्लेखनीय है कि लोक अदालत में उभयपक्षकारों की सहमति के आधार पर ही निर्णय किए जा सकते हैं परन्तु प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी आराजी खसरा संख्या 99 व 183 मौजा धांधलावास पटवार हल्का नगर तहसील गुडामालानी की नेखमबंदी हेतु राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–128 के तहत अदालत हाजा में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अंतिम निर्णय लोक अदालत में किया गया है। साथ ही अप्रार्थी संख्या 50 का निःसन्देह प्राकृतिक तेल व गैस उत्खनन करने वाली अर्द्धराजकीय संस्था होने के कारण जनहित के कार्य करने की स्थिति में होने से प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी आराजी खसरा संख्या 99 व 183 मौजा धांधलावास पटवार हल्का नगर तहसील गुडामालानी की नेखमबंदी हेतु राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–128 के तहत अदालत हाजा में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अप्रार्थी संख्या 50 की अनुपस्थिति में बिना सुनवाई का अवसर देते हुए निर्णित करने से अप्रार्थी संख्या 50 के पक्ष में अकारथ अन्याय होना प्रतीत होता है। अतः न्यायालय इससे प्रकरण में हुये अकारथ अन्याय के हस्तगत मामले में देरी का उपशमन करते हुए पक्षकार को अपना प्रकरण पुनः न्यायालय के समक्ष रखने हेतु एवं प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णयन करने हेतु न्याय के दरवाजे खोलने की अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करना उचित समझता है। अतः

आदेश है कि

अप्रार्थी संख्या 50 द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–65 (2) के तहत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है एवं हाजा अदालत के प्रकरण संख्या 223/2022 में पारित निर्णय दिनांक 11.02.2023 को निरस्त करते हुए प्रकरण को पुनः सुनवाई पर लिया जाता है।

यह निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 17.03.2025 को लिखवाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.23 20:46:18 IST
Reason: SelfAttested

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढ़ामालानी–बाड़मेर